

न्यायालय: सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद।

उपस्थित: जितेन्द्र कुमार सिन्हा (उच्चतर न्यायिक सेवा)

(J.O.Code No- UP 6515)

द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या- 1274/2023

कम्प्यूटर रजिस्ट्रेशन संख्या- 3703/2023

(CNR No: UPGZ010070722023)

अजीत सिंह पुत्र दयाशरण निवासी एल- 1 ए-126/14 दुर्गा मन्दिर संगम विहार, साउथ दिल्ली।

.....अभियुक्त

बनाम

उ०प्र०सरकार

मुकदमा अपराध संख्या- 210/2018

धारा- 454, 380,411 भा०द०सं०

थाना- विजयनगर, जिला गाजियाबाद।

आदेश

12.05.2023

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ। आवेदक/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान डी.जी.सी. क्रिमिनल उपस्थित है। विद्वान अधिवक्ता आवेदक/अभियुक्त की ओर से कहा गया है कि वे अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर बल नहीं देना चाहते हैं और इसी आशय का पृष्ठांकन उनके द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र के हांसिए पर किया गया है।

सुना। अतः अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र बल न देने के कारण निरस्त किया जाता है।

(जितेन्द्र कुमार सिन्हा)

सत्र न्यायाधीश,

गाजियाबाद।